

16/2/22

पत्रावली केा हुं पत्रावली का बाद पत्र सूफी लख
मपय के पत्राव व लखी में चल रहा है
पत्रावली के बाद का खारीज कर दिया गया है
इस पत्रावली के बारे में जेरकार रखने का कोर्स
सौजन्य नहीं है। & न्यायालय इस पत्रावली से
आगे जेरकार रखना इच्छित नहीं समझता है।
पत्रावली का खारीज किया जाता है। पत्रावली
केसल इन्कार लेकर नये से कर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/2/22 को सरे इजलास
में सुनाया गया।

उप. जज अदालत
मुंबई जिला न्यायालय